

PIO-System  
22/3/22

सेवा में

मॉडल प्रभारी (RTI)

PIO-SYSTEM

RTI-20390

22/3/22

ग्रेटर नोएला प्राधिकरण

विषय: RTI Act के तहत सिस्टम विभाग से निम्न जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन।

- 1- ERP कार्य हेतु प्राधिकरण - Tech Mahindra के मध्य हुए अनुबंध के अनुरूप कार्पिन विधे जाने हेतु प्राधिकरण द्वारा टेक माहिन्दा को जारी विधे गये कार्य कराओ के निम्न क्रमशः ग्रे. नो. / सिस्टम / 2020 / 3807 व 5047 दिनांक क्रमशः 10/08/2020 व 10/12/2020 के प्रति उत्तर में टेक माहिन्दा द्वारा विधे गये जबाब की प्रति मप अवलंब की गयी समस्त कार्यवाहियों की प्रति उपलब्ध कराये।
- 2- उपर्युक्त कार्य कराओ के निम्न क्रम में MS मे की शर्तों व R.P.M II क्लॉज - 21 के तहत टेक माहिन्दा द्वारा अर्थ डंड वै मद में कितनी धनराशि प्राधिकरण में जमा कराया गया है जमा कराये धनराशि का माध्यम संपूर्ण विवरण उपलब्ध कराये।
- 3- प्राधिकरण - टेक माहिन्दा के मद में हुए अनुबंध के अनुरूप कार्पिन विधे जाने पर क्या - क्या कार्यवाही प्राधिकरण कर सकता है संपूर्ण जानकारी पत्र उपलब्ध कराये।
- 4- ERP कार्य अनुबंध विधे से 46 सप्ताह तक (11/01/2020) तक 60-65 के बिना जाना था परन्तु आज तक प्राधिकरण के सभी विभागों का कार्य निरंतर समय से 2 गुणा अधिक समय लगने के बाद भी 60-65 के न होना अनुबंध का उल्लंघन है अथवा नहीं।
- 5- टेक माहिन्दा को 60-65 के हेतु प्राधिकरण द्वारा कोई समय सीमा निरंतर बिना रखा है तो इसकी प्रति उपलब्ध कराये।

अधिकार अपने कर्मों को करने वाले संविदाकार के अधीन  
करने वाले कर्मचारियों को भ्रम करने का पालन करने  
लिए (भविष्य निधि) उत्तरदायी है अथवा नहीं

कमरे के कर्मचारियों का भविष्य निधि में अंशदान  
होता है तो जमा किए गये कर्मचारियों की सूची उपलब्ध  
कराये।

आप से आग्रह है कि जन सूचना अधिनियम अधिनियम  
2005 के तहत 07 विन्दुओं की सूचना उपलब्ध कराये।

सादर

संलग्नक

1- 10 रुपये का नकद नोट

सं- 05 B 607825

दिनांक- 04/03/2022

जाथी संजय

संजयरण

SD-03

सेक्टर 45

नोएडा

201303

फ़. 9868735800



कार्यालय

जिलाधिकारी

गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक: 181 / आर0टी0आई0 / अन्तरित / 2022

दिनांक: - 08/03/22

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,  
ग्रेटर नौएडा विकास प्राधिकरण।

23742  
5-4-22

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सम्बन्ध में।

महोदय,

आवेदक श्री संजय राय निवासी एस0डी-83 सै0 45 नौएडा के आर0टी0आई0 प्रार्थना पत्र दिनांक 12.03.2022, जो कि इस कार्यालय को दिनांक 25.03.2022 को प्राप्त है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना चाही गई है उक्त सूचना आपके कार्यालय से सम्बन्धित है।

अतः मूल आवेदन पत्र एवं पोस्टल आर्डर संलग्न कर आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने एवं कार्यालय प्रति भविष्य के लिए सभालकर रखने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: - उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभारी अधिकारी (जन0सू0) /  
कृते जिलाधिकारी,  
गौतमबुद्धनगर।

PIO HRD  
6/4/22

प्रतिलिपि: - निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित-

1. श्री संजय राय निवासी एस0डी-83 सै0 45 नौएडा को इस आशय से प्रेषित है उपरोक्त जनसूचना अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क कर वांछित सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

PIO-HRD  
RTI 20457  
6/4/2022

प्रभारी अधिकारी (जन0सू0) /  
कृते जिलाधिकारी,  
गौतमबुद्धनगर।

सेवा में

प्रभारी जन संपन्न अधिकारी

जिलाधिकारी कार्यालय

कलेक्ट्रेट गौतम बुद्ध नगर

विषय: 28/3/22

जन संपन्न अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्न संपन्न प्राप्त करने हेतु आवेदन।

- 1- औद्योगिक विकास अनुभाग - 4 उ.प्र. शासन पत्र सं. 212/77-4/249 एन 207 दिनांक 24/08/2011 से श्री पंडकांत विघाडी (परिवार प्रबंधक) ग्रेड नौ एडा अधिकरण की जांच रिपोर्ट के हेतु बतौर जांच अधिकारी नामित रिपोर्ट के वाले आदेश की प्रति उपलब्ध कराये।
- 2- बतौर जांच अधिकारी द्वारा श्री विघाडी को जांच के संदर्भ में जारी आरोप पत्र की प्रति उपलब्ध कराये।
- 3- जांच अधिकारी द्वारा जारी आरोप पत्र के प्रत्युत्तर में श्री विघाडी द्वारा दिये गये जवाब/स्पष्टीकरण की प्रति दें।
- 4- श्री पीपूष डिकेटी व श्रीमती शनी लिंगारी से जारी कर के फर्जी आवंटन पत्रों पर किराने हस्ताक्षर हैं का मिलान हस्ताक्षर विशेषज्ञ/कोरैसिडर जांच कराया गया तो उसकी प्रति उपलब्ध कराये।
- 5- अगर नही कराया गया तो किस आधार पर श्री विघाडी को दोषी नही पाये जाने का स्पष्ट कारण बताये व नोट्स रकम रखा हो तो उसकी प्रति उपलब्ध कराये।
- 6- जांच अधिकारी द्वारा ~~पुनः~~ अनु संचिक औद्योगिक विकास अनुभाग - 4 उ.प्र. शासन को भेजी गयी जांच

आवका सं. 1411/एस. टी. डी. एम. 2012-13  
दिनांक - 28/02/2013 की प्रति उपलब्ध  
करायें।

आपसे आग्रह है कि जन सूचना अधिकार अधिनियम-  
2005 के तहत उपर सूचना उपलब्ध कराने  
का कष्ट करें।

सादर

संलग्न

1- 106 प्रो. आनंद कानोडा  
सं. 29D89849J  
दिनांक - 12/03/2022

जाय

संजय  
संजय राय


SD-03

सेक्टर 45

कॉस्टा - 201303

कॉ. 9868735800





गौतमबुद्धनगर  
दिनांक:- 22/3/22

23742  
5-4-22

विषय:- 22

महोदय,

आवेदक श्री संजय राय निवासी एस0डी-83 सै0 45 नौएडा के आर0टी0आई0 प्रार्थना पत्र दिनांक 12.03.2022, जो कि इस कार्यालय को दिनांक 25.03.2022 को प्राप्त है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना चाही गई है उक्त सूचना आपके कार्यालय से सम्बन्धित है।

अतः मूल आवेदन पत्र एवं पोस्टल आर्डर संलग्न कर आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने एवं कार्यालय प्रति भविष्य के लिए सभालकर रखने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

PIO HRD  
6/4/22

भवदीय,  
3/3/22

प्रभारी अधिकारी (जनसू0)  
कृते जिलाधिकारी,  
गौतमबुद्धनगर।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित-

1. श्री संजय राय निवासी एस0डी-83 सै0 45 नौएडा को इस आशय से प्रेषित है उपरोक्त जनसूचना अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क कर वांछित सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

PIO - HRD  
RTI 20457  
6/4/2022

प्रभारी अधिकारी (जनसू0)  
कृते जिलाधिकारी,  
गौतमबुद्धनगर।